

प्रेस नोट- जनपद शाहजहाँपुर दिनांक-09.08.2022

थाना रोजा पुलिस द्वारा 01 शातिर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त अरविन्द मिश्रा को किया गया गिरफ्तार
पिस्टल, रिवाल्वर, 01 रायफल, 01 बन्दूक व फर्जी लाइसेन्स बरामद ।

श्री एस.आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण व श्री अरविन्द कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में थाना रोजा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी।

दिनांक 09.08.2022 की रात्रि समय करीब 01.55 बजे कुवर बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना रोजा के नेतृत्व में थाना रोजा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर **अभियुक्त अरविन्द मिश्रा पुत्र रामासरे नि0 मो0 लोधीपुर थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर पेशे से अधिवक्ता** को अभियुक्त के **घर के बगल में पडे खाली प्लाट से** गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक बन्दूक DBBL 12 बोर मय 20 जिन्दा कारतूस मय बेल्ट के, एक रायफल 315 बोर व 09 कारतूस जिन्दा 315 बोर मय बेल्ट के मय एक मिस कारतूस 315 बोर, एक रिवाल्वर 32 बोर मय 20 कारतूस जिन्दा 32 बोर व एक पिस्टल 32 बोर मय 10 कारतूस जिन्दा 32 बोर मय 02 मैगजीन पिस्टल तथा एक मैगजीन रायफल 315 बोर, एक शस्त्र लाईसेन्स व फर्जी लाइसेन्स जो कि कूटरचित है, बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

उल्लेखनीय यह है कि गिरफ्तार अभियुक्त अरविन्द मिश्रा उपरोक्त जनपद शाहजहाँपुर कचहरी में पेशे से अधिवक्ता है, जिससे बरामद लाइसेन्सों की जाँच में पाया गया कि 01 लाइसेन्स जो कि फर्जी है, किसी अन्य के नाम पर दर्ज है। अभियुक्त थाना रोजा के (H.S. NO-82A) पर हिस्ट्रीशीटर है, जनमानस में भय व्याप्त करने के उद्देश्य से असलहों को अपने पास रखता है और जनता को भयभीत करता है।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

अभियुक्त के घर के बगल में पडे खाली प्लाट से मो0 लोधीपुर, दिनांक 09.08.2022 व समय 01.55 बजे रात्रि।

गिरफ्तार अभियुक्त विवरण :

अरविन्द मिश्रा पुत्र रामासरे नि0 मो0 लोधीपुर थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर। (H.S. NO-82A)

बरामदगी का विवरण :

1. एक बन्दूक DBBL 12 बोर मय 20 जिन्दा कारतूस मय बेल्ट
2. एक रायफल 315 बोर 09 कारतूस जिन्दा 315 बोर मय बेल्ट एक मिस कारतूस 315 बोर व एक मैगजीन रायफल 315 बोर
3. एक रिवाल्वर 32 बोर 20 कारतूस जिन्दा 32 बोर
4. एक पिस्टल 32 बोर 10 कारतूस जिन्दा 32 बोर (पिस्टल) 02 मैगजीन पिस्टल

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 603/22 धारा 504/506/427/307/120 बी भादवि0
2. मु0अ0सं0 604/2022 धारा 3/ 25/27 A. ACT
3. मु0अ0सं0 605/2022 धारा 420/467/468/471 भादवि

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अरविन्द मिश्रा(H.S. NO-82A) :

1. मु0अ0सं0 219/22 धारा 307/323/504/506 भादवि
2. मु0अ0सं0 82/19 धारा 147/307/504 भादवि व 3(2)(V) SC/ST ACT8
3. मु0अ0सं0 2898/17 धारा 147/148/149/307/452/504/506 भादवि व 3(1)b SC/ST ACT
4. मु0अ0सं0 748/10 धारा 147/148/149/307 भादवि
5. मु0अ0सं0 68/99 धारा 306 भादवि
6. मु0अ0सं0 400/99 धारा 364 भादवि
7. मु0अ0सं0 336/99 धारा 4/25 A ACT
8. मु0अ0सं0 152/95 धारा 506/307 भादवि
9. मु0अ0सं0 34/95 धारा 307/504/506 भादवि
10. मु0अ0सं0 136/89 धारा 379/411 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. प्रभारी निरीक्षक कुवर बहादुर सिंह | 2. निरीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह | 3. व0उ0नि0 सुदीश सिंह सिरोही |
| 4. उ0नि0 उरमान शास्त्री | 5. का0 1274 अजय कुमार | 6. का0 2448 हिमांशू चौधरी |
| 7. का0 383 इकबाल अहमद
जनपद शाहजहाँपुरा | 8. का0 2224 रोहित कुमार | 9. का0 1907 अंकुश कुमार थाना रोजा |